रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092020-221474
CG-DL-E-01092020-221474

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2020/भाद्र 9, 1942
No. 216] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2020/BHADRA 9, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2020

मामला संख्याः एडी-एसएसआर-09/2020

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मेथीलीन क्लोराइड" के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत ।

1. **फा. सं. 7/19/2020-डीजीटीआर.—**मै. गुजरात फ्लूरोकैमिकल्स लिमिटेड, टीजीवी एसआरएएसी लिमिटेड, (जिसे पहले श्री रायलसीमा एल्काइल्स तथा एलाइड कैमिकल्स लि. के नाम से जाना जाता था) और मै. कैमप्लास्ट सनमार लिमिटेड (जिन्हे यहां आगे "आवेदक" या आवेदक कंपनियां भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से निर्यातित "मेथीलीन क्लोराइड"

(जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद अथवा "पीयूसी" अथवा "एमडीसी" भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और उन्होंने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) की समीक्षाउ करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया है।

3. चीन जन.गण तथा रूस से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच 2015 में शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना सं. 14/33/2014-डीजीएडी के माध्यम से संबद्ध वस्तु पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 8 दिसंबर, 2015 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 58/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी ने दिनांक 30 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. 14/33/2014-डीजीएडी के माध्यम से चीन जन गण तथा रूस से मेथीलीन क्लोराइड के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी जिसे दिनांक 31 मई, 2016 की अधिसूचना सं. 21/2016 के माध्यम से वित्त मंत्रालय द्वारा लगाया गया था।

4. आवेदकों ने रूस से संबद्ध वसतु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का समय बढ़ाने की मांग नहीं की है क्योंकि रूस से कोई वर्तमान निर्यात नहीं हुए हैं और रूस से पाटन और क्षति की संभावना का कोई साक्ष्य नहीं है।

<u>विचाराधीन उत्पाद</u>

5. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद मैथीलीन क्लोराइड है जिसे डायक्लोरोमेथीन अथवा मिथाइल डायक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। विचाराधीन उत्पाद को मूल जांच में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

"मेथीलीन क्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका आणविक सूत्र CH2Cl2 है। यह एक रंगहीन द्रव होता है जिसकी गंध स्वीटिस इथर जैसी होती है और अधिकांशत: इसका प्रयोग विलायक के रूप में किया जाता है। यह अधिकांश दशाओं में अनिवार्यत: अज्वलनशील होता है परंतु अगर इसे अत्यधिक गर्म किया जाए तो जल सकता है। मेथीलीन क्लोराइड उच्च ताप पर विघटित हो सकता है जिससे विषैली गैसे निकलती हैं। यह पूर्णत: अनेक विलायकों के साथ मिश्रण योग्य है। एमडीसी एक विलायक है और इसका प्रयोग पोलीकार्बोनेट और फेनोलिक रेजिन, रेयान यार्न, भेषज, कृषि और सुगंध विनिर्माण में होता है। इसका प्रयोग खाद्य, बसा, कोकोआ, बटर और सार तत्व को निकालने में भी होता है।"

मेथीलीन क्लोराइड के उत्पादन की दो प्रौद्योगिकियां हैं- मिथेन रूट और मेथानल रूट। दोनों तरह से उत्पादित उत्पाद तकनीकी विनिर्देशनों के अनुसार बिल्कुल समान है। मेथीलीन क्लोराइड को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अधीन सीमाशुल्क उपशीर्ष 29031200 के अंतर्गत वगीकृत किया जाता है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

6. यह दलील दी गई है कि इस अवधि के दौरान कोई खास विकास नहीं हुआ है। चूंकि वर्तमान जांच निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद पहले की गई जांच में यथापरिभाषित के समान है।

<u>समान वस्तु</u>

7. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद में कोई खास अंतर नहीं है। ये दोनों उत्पाद तकनीकी विशेषताओं, अपने समान अंतिम प्रयोगों, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता और टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं।

8. मूल जांच में प्राधिकारी ने माना था कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद संबद्ध देश से भारत में आयातित उत्पाद के समान वस्तु हैं। वर्तमान आवेदन मूल शुल्क का समय बढ़ाने की समीक्षा के लिए है और क्योंकि वर्तमान तथा मूल जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद समान हैं इसलिए प्रथमदृष्टया यह माना जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वसतु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु "समान वस्तु" हैं।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

9. यह आवेदन मै. कैमप्लास्ट सनमार लिमिटेड, टीजीवी एसआरएसीसी लि. तथा मै. गुजरात फ्लूरोकैमिकल्स लि. द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है । मूल आवेदन मै. कैमप्लास्ट समर लि., तथा मै. गुजरात फ्लूरोकैमिकल्स लि., द्वारा दायर किया गया था । आवेदकों ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने पूरी क्षति अवधि में न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध वस्तु के किसी उत्पादक या आयातक से संबंधित हैं ।

10. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदक का उत्पादन समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है ।

11. उपर्युक्त के मद्देनजर और आवश्यक जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक कंपनियां नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है ।

पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

12. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अंतर्गत निर्धारित किया जाना चाहिए । आवेदकों ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i(का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है और यह बताया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि उनके संबद्ध वसतु के उत्पादक उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं । आवेदकों ने दावा किया है कि चीन की घरेलू लागतों और कीमतों को तब तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता जब तक चीन के निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था की जांच को पास न कर लें । आवेदकों ने आगे यह भी बताया है कि चीन जन गण के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए । उपर्युक्त गैर बाजार अर्थव्यवस्था धारणा के मद्देनजर और चीन जन गण से प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार अनुमानित किया गया है ।

13. खुले/अनपैक्ड तथा पैक्ड सामग्री की लागत और कीमतों में भारी अंतर को देखते हुए इन दोनों के लिए सामान्य मूल्य अलग-अलग निर्धारित किया गया है ।

14. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को बाजार अर्थव्यवस्था नहीं माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए । सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 में निर्धारित उपबंध के अंतर्गत निर्धारित किया गया है अर्थात भारत समेत अन्य देशों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से कीमत पर विचार करते हुए । आवेदकों ने चीनी ताइपेयी के सीमाशुल्क आंकड़े दिए हैं जो दर्शाते हैं कि चीनी ताइपेई ने वियतनाम और भारत को पूरी क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का भारी निर्यात किया है और उन्होंने चीन जन.गण. के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के रूप में चीनी ताइपेई का प्रस्ताव किया है । यह भी दावा किया गया है कि यूरोपीय आयोग ने अनेक जांचों जैसे (i) चीन जन गण के मूल से पालीविनायल एल्कोहल (पीवीए), (ii) चीन जन गण, इंडोनेशिया, चीनी ताइपेई, थाइलैंड और वियतनाम के मूल की कतिपय स्टेनलैस स्टील फास्टनर और कलपुर्जों के मामले में चीन जन गण के लिए प्रतिनिधि देश के रूप में चीनी ताइपेयी को माना है । चूंकि पी ओ आई के दौरान भारत को चीनी ताइपेई से संबद्ध वस्तु के निर्यात काफी अधिक हैं, इसलिए चीन जन गण से संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य को भारत को चीनी ताइपेई से संबद्ध वस्तु के निर्यातों पर विचार निर्धारित किया गया है। इस दावे को इस तर्क पर उचित पाया गया है और इसलिए तद्नुसार, सामान्य मूल्य पर विचार किया गया है ।

15. प्राधिकारी अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार चीन जन. गण. के लिए दावा किए गए सामान्य मूल्य हेतु चीनी ताइपेई की उपयुक्तता के बारे में प्रश्नावली के उत्तर हेतु तथा इस अधिसूचना में यथाप्रदत्त विहित समय सीमा के भीतर सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं ।

निर्यात कीमत

16. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर परिकलित की गई है । समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय मालभाड़ा व्यय, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और वैट (केवल चीन जन गण के लिए) हेतु समायोजन किए गए हैं । आवेदक द्वारा दावा की गई निवल निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं ।

पाटन मार्जिन

17. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्याति कीमत पर विचार करते हुए अधिनियम की धारा 9 क (1)(क) के अनुसार पाटन मार्जिन निर्धारित किया गया है । इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से अधिक है जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है ।

पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना

18. घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति की संभावना के आकलन हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है । आवेदकों ने चीन जन. गण. से ली गई एक बाजार आसूचना रिपोर्ट से उद्धरण प्रस्तुत किए हैं जो विचाराधीन उत्पाद, चीन जन गण में संबद्ध वस्तु के बाजार, जिनमें उत्पादन, मांग, बिक्री, क्षमता, निर्यात, आदि शामिल हैं, के ब्यौरे उपलब्ध कराती है । उक्त रिपोर्ट मुख्यत: चाइना क्लोर एलकली इंडस्ट्री एसोसिएशन से प्रापत सूचना पर भरोसा करती है जो चाइना क्लोर एलकली उद्योग और बाजार के आयात / निर्यात आंकड़ों तथा अन्य सूचना उपलब्ध कराती है जिसमें मेथीलीन क्लोराइड शामिल है । आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन गण से आयातों में एडीडी के लागू होने के बावजूद वृद्धि हुई है और ऐसे आयातों की मात्रा काफी अधिक है । यह भी दावा किया गया है कि कीमत कटौती संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान सकारात्मक रही है । इसके अलावा यह दावा किया गया है कि चीन जन गण के पास अतिरिक्त उत्पादन क्षमताएं हैं और वह पहले से मौजूद भारी अतिरिक्त क्षमता में वृद्धि करके उसे और बढ़ा रहा है । चूंकि भारत में मांग बढ़ रही है और भारत चीन जन गण के लिए एक अनुकूल बाजार है तथा कीमत कटौती को देखते हुए यह दावा किया गया है कि एडीडी के समाप्त होने से बाजार में कीमतों पर ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा । आवेदकों द्वारा प्रदत्त सूचना प्रथम दृष्टया एडीडी के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होना दर्शाती है ।

निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत

19. आवेदक के विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर और पाटन एवं क्षतिके जारी रहने/उसके फिर से होने की संभावना की पुष्टि करते हुए प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर अपने आप को संतुष्ट करते हुए तथा इस नियमावली के नियम 23(1ख) के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9क (5)के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा इस तथ्य की जांच करने के लिए संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को सतत रूप से लगाए रखने के लिए आवश्यकता की समीक्षा करने हेतु निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत करते हैं कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षतिके जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है ।

संबद्ध देश

20. वर्तमान समीक्षा जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण. है । मूल जांच चीन जन. गण.और रूस से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के विरूद्ध की गई थी । आवेदकों ने अनुरोध किया है कि चूंकि पूरी क्षति अवधि में रूस से कोई आयात नहीं हुए है और चूंकि रूस से पाटन और क्षति की संभावना का कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए केवल चीन जन गण को वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश माना जाए ।

जांच की अवधि (पीओआई)

21. जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की होगी । क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2016 - 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 – 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल - 2018 – 31 मार्च, 2019 और पी ओ आई की अवधियां शामिल होंगी ।

प्रक्रिया

22. इस समीक्षा जांच में चीन जन.गण. से मेथीलीन क्लोराइड के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की समयावधि बढ़ाने की सिफारिश करने वाली दिनांक 30 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. 14/33/2014-डीजीएडी के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलू शामिल होंगे । प्राधिकारी पाटन और क्षति की संभावना का यथाअपेक्षित विश्लेषण भी करेंगे ।

23. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे ।

सूचना प्रस्तुत करना

24 कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg 13-dgtr@gov.in, dir15-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in और ad11-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए ।

25. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ।

26. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

27. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के ईमेल पतों adg 13-dgtr@gov.in, dir15-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in और ad11-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है ।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

30. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7)2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका एक अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है । इसका पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है ।

31. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

32. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

33. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की

गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

34. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

35. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

36. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

37. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

<u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

38. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलैक्ट्रोनिक रूप में सार्वजनक फाइल को रखने के तौर तरीकों को तैयार किया जा रहा है ।

<u>असहयोग</u>

39. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

बिद्युत बिहारी स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2020

<u>Case No. AD-SSR-09/2020</u>

Subject:-Initiation of Sunset Review Investigation concerning imports of "Methylene Chloride" originating in or exported from China PR.

1. **F. No. 7/19/2020-DGTR.**—M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd., TGV SRAAC Ltd (formerly known as Sree Rayalaseema Alkalies and Allied Chemicals Ltd) and M/s Chemplast Sanmar Ltd. (hereinafter also referred to as the "Applicants" or "Applicant companies") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules") for Sunset Review of

Anti-Dumping duty imposed on imports of "Methylene Chloride" (hereinafter also referred to as "subject goods" or "product under consideration" or "PUC" or "MDC") from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").

2. The Applicants have alleged likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country and consequent injury to the domestic industry, and have requested for review and continuation of the Anti-Dumping duty (ADD) imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Background

3. The original anti-dumping investigation was initiated in 2015 concerning imports of subject goods from China PR and Russia. The Authority recommended provisional anti-dumping duty on subject goods vide Notification No. 14/33/2014-DGAD dated 30th October 2015. The Ministry of Finance imposed provisional duties vide Notification No. 58/2015-Customs (ADD) dated 8th December 2015. The Authority recommended imposition of anti-dumping duties concerning imports of Methylene Chloride from China PR and Russia vide Notification No 14/33/2014-DGAD dated 30th March, 2016 which was imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 21/2016 dated 31st May, 2016.
4. The Applicants have not sought extension of anti-dumping duties on imports of subject goods from Russia as there are no current exports from Russia and there is no evidence of likelihood of dumping and injury from Russia.

Product under consideration

5. The product under consideration in this investigation is Methylene Chloride, also known as Dichloromethane or Methyl Dichloride. The product under consideration defined in the original investigation is as follows:

"Methylene chloride is an organic compound with molecular formula CH2Cl2. It is a colorless liquid with sweetish ether-like odor, and is used as a solvent predominantly. It is essentially non-flammable under most conditions of use but can burn if strongly heated. Methylene Chloride may decompose at high temperatures forming toxic gases. It is completely miscible with a variety of solvents. MDC is a solvent and is used in the manufacturing of polycarbonate and phenolic resins, rayon yarn, pharmaceuticals, agro and fragrance. It is also used as an extractant for edible fats, cocoa, butter and essences."

There are two technologies for production of Methylene Chloride – Methane route and Methanol route. The product produced through the two routes has essentially similar technical specifications Methylene Chloride is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under customs subheading 29031200. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation."

6. It has been contended that no significant developments have taken place over the period. The present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation.

Like Article

7. The Applicants have submitted that there is no significant difference in product produced by the applicants and exported from the subject country. Both products are comparable in terms of technical characteristics, their similar end uses, their technical and commercial substitutability and tariff classification.

8. The Authority in the original investigation had held that the products being manufactured by the domestic industry is like article to the product being imported into India from the subject country. The present application is for review of the extension of original duty and since the product under consideration for the present and original investigation are same, it is prima facie considered that the subject good produced by the Domestic Industry and the subject good imported from the subject country are "like article".

Domestic Industry and Standing

9. The Application has been jointly filed by M/s. Chemplast Sanmar Ltd., TGV SRAAC Ltd. and M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd, The original application was filed by M/s. Chemplast Sanmar Ltd., and M/s Gujarat Fluorochemicals Ltd. The applicants have certified that they have not imported the subject goods from the subject country in the entire injury period nor are they related to any producer or importer of subject goods.
10. As per evidence available on record, the production of the applicants accounts for a major proportion in the domestic production of the like article.
11. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the Applicant companies constitute

eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3), of the Rules supra.

Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping

Normal Value for China PR

12. The Applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The Applicants have cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol and stated that the Chinese producers should be directed to show that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods. The Applicants have claimed that Chinese domestic costs and prices cannot be accepted unless the Chinese exporters pass the tests of market economy. The Applicants have further stated that for China PR normal value should be determined in accordance with para-7 and 8 of Annexure I of the Rules. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from China PR, normal value of the Subject Goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

13. In view of significant difference in the costs and prices of loose/unpacked and packed material, the normal value has been determined separately for the two.

14. The applicants have claimed that China PR should not be treated as a market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The normal value has been determined under the provision stipulated under Para 7 of the Annexure 1 of the Rules i.e. considering the price from market economy third country to other countries, including India. The Applicants have provided Chinese Taipei customs data which shows that Chinese Taipei has made significant exports of subject goods to Vietnam and India throughout the injury period, and they have proposed Chinese Taipei as a market economy third country for China PR. It has been further claimed that the European Commission have also considered Chinese Taipei as surrogate country for China PR in several investigations such as (i) Polyvinyl alcohol (PVA) originating in the People's Republic of China, (ii) certain stainless steel fasteners and parts thereof originating in the People's Republic of China, Indonesia, Chinese Taipei, Thailand and Vietnam. Since the exports of subject goods from Chinese Taipei to India during the POI is significant, normal value of subject goods from China PR has been determined considering exports of subject goods from Chinese Taipei to India. The claim is found appropriate at this stage and thus normal value has been considered accordingly.

15. The Authority hereby invites comments from all interested parties in accordance with para 7 of Annexure I about appropriateness of Chinese Taipei for the normal value claimed for China PR within time stipulated for questionnaire response, and as given in this notification.

Export price

16. The export price for subject goods for the subject countries has been computed based on the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges, and VAT (for China PR only).There is sufficient prima facie evidence with regard to the net export prices claimed by the Applicants.

Dumping margin

17. Considering the normal value and export price determined as above, dumping margin has been determined, in accordance with Section 9 A(1)(a) of the Act. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries are higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

Likelihood of Continuation or Recurrence of dumping and Injury

18. Information furnished by the Applicants has been considered for assessment of Likelihood of Continuation or Recurrence of injury to the domestic industry. The Applicants have submitted extracts from a market intelligence report sourced from China PR, which provides details of the product under consideration, market of subject goods in China PR including production, demand, sales, capacity, exports etc. The said report mainly relies on the information procured from China Chlor-Alkali Industry Association which provides an account of import/export data and insight of China Chlor-alkali industry and market which includes Methylene Chloride. The Applicants have claimed that imports from China PR have increased in India despite imposition of ADD, and the volume of such imports is significant. It has further been claimed

that price undercutting has remained positive during the entire injury period. Further, it is claimed that China PR has surplus production capacities and they are further expanding capacities adding to the already existing huge surplus capacity. Since India's demand is increasing and India being a favorable market for China PR, and considering the price undercutting, it has been claimed that cessation of ADD would have suppressing and depressing effect on the prices in the market. The information provided by the applicants prima facie indicates a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury on cessation of ADD.

Initiation of Sunset Review Investigation

19. On the basis of the duly substantiated application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence substantiating the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority, hereby, initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of existing Anti-dumping duties are likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry.

Subject Country

20. The subject country in the present review investigation is China PR. The original investigation was conducted against dumped imports of the subject goods from China PR and Russia. The applicants have submitted that since there are no imports from Russia throughout the injury period and since there is no evidence of likelihood of dumping and injury from Russia, and only China PR may be treated as subject country for the present investigation.

Period of Investigation

21. The period of investigation (POI) will be from 1st April, 2019 to 31st March, 2020. The injury investigation period will cover the periods 1st April 2016-31st March 2017, 1st April 2017-31st March 2018, 1st April 2018-31st March 2019, and the POI.

Procedure

22. The review investigation will cover all aspects of the Final Findings published vide Notification No. 14/33/2014-DGAD dated 30th March 2016 recommending extension of Anti-Dumping Duty on imports of Methylene Chloride from China PR. The Authority will also undertake likelihood analysis of dumping and injury as required.

23. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

24. In view of the special circumstances arising out of COVID -19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, dir15-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in and ad11-dgtr@gov.in

25. The known producers/exporters in the subject countries, their Government through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

26. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

27. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

Time Limit

28. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, dir15-dgtr@gov.in, dir13-dgtr@gov.in and ad11-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no

information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

30. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
31. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non- Confidential versions separately.

32. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

33. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

34. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

36. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

37. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

38. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

Non-cooperation

39. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BIDYUT BEHARI SWAIN, Special Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM

Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2020.09.01 14:15:01 +05'30'